तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	दिनांक 13.8.22 आज सम्बन्धित न्यायालय व ... राष्ट्रीय लोक अदालत/लोक अदालत में पेश हुई। परिवादी व वादी अनुपस्थित। ... प्रतिवादी अनुपस्थित। ... कोई कार्यवाही नहीं हो सकी पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को नियत पेशी से पूर्व भेजी जावे। 14-10-22 सदस्य तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति
14/10/22	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित है। तहसीलदार नैनवां का नोटिस बाद तामील संलग्न है। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट प्राप्त हुई। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 3/11/22 को पेश हो।
3.11.22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। पैरोकार सरकार उप० है। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम समीधी की जमाबंदी संवत् 2076-79 के खाता संख्या नया 276 पुराना 253 में प्रार्थी का नाम टंकन त्रुटि के कारण मोहन पुत्र खाना दर्ज हो गया है जिसको शुद्ध "मोहन आ० खाना" किया जाना न्यायोचित होगा। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट दिनांक ...22 से ग्राम समीधी में "मोहन पुत्र खाना" के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.04.10 15:57:20 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से अन्य कोई व्यक्ति नही होने तथा मोहन व मनोज एक ही व्यक्ति होने बावत् रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में राजस्व रिकार्ड में "मोहन आ० खाना" के स्थान पर "मनोज आ० खाना" किये जाने को न्यायोचित बताया।	

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज एवं जवाब तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया एवं बहस प्रा०पत्र में दिये गए तर्कों पर मनन किया। प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम समीधी पटवार हल्का समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी की जमाबंदी संवत् 2076-79 की खाता संख्या नई 276 के खसरा संख्या $\frac{1311}{0.0809}$, $\frac{1327}{0.0647}$, $\frac{1329}{0.0405}$, $\frac{1625}{2.2248}$, $\frac{1786}{1.7960}$, $\frac{1787}{2.1115}$, $\frac{807}{0.2427}$ तथा $\frac{808}{0.2023}$ कुल किता 08 कुल रकबा 6.7634 हेक्टेयर भूमि की जमाबंदी में प्रार्थी का नाम "मोहन आ० खाना" के स्थान पर "मनोज कुमार सैनी आत्मज खाना सैनी जाति माली" संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील शामिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.04.10 16:57:20 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)